पश्चिम रेलवे की रेल सुरक्षा बल टीम ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को धर दबोचा

मुंबई। पश्चिम रेलवे का सुरक्षा विभाग यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसी क्रम में अंधेरी स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल कर्मियों की सतर्कता से विभिन्न आपराधिक मामलों में लिप्त एक व्यक्ति को धर दबोचने और फिर उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हाल ही में अंधेरी पोस्ट की अपराध रोकथाम टीम ने लगभग 22.30 बजे अंधेरी स्टेशन पर संदिग्ध तरीके से घूमते हुए एक व्यक्ति का पता लगाया और उसकी गतिविधियों पर सीसीटीवी निगरानी के ज़रिये पैनी नजर रखी। रेल सुरक्षा बल का एक जवान उस व्यक्ति के पास पहुँचा और उससे पूछताछ की। इधर-उधर घूमने की उसकी मंशा के बारे में पूछने पर वह रेल सुरक्षा बल कर्मियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसने भागने का प्रयास किया।

कांस्टेबल हरिशंकर यादव, कांस्टेबल अंकित पटेल और कांस्टेबल दीपक वर्मा की टीम ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम राहुल अमृतलाल गुप्ता (22 वर्ष) और अपने आपको भायंदर (पश्चिम) का निवासी बताया। उसके विवरण की जाँच करने पर उसे पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के साथ कुख्यात हिस्ट्रीशीटर पाया गया। उसके खिलाफ आईपीसी के तहत चोरी और लूट के कुल नौ मामले और विभिन्न जीआरपी पुलिस थानों में एमपी एक्ट के तीन मामले दर्ज पाये गये। इसके बाद उसे जीआरपी अंधेरी को सौंप दिया गया और सीआर नं. 168/2021 यू/एस 122(ई) मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया। रेल सुरक्षा बल टीम के त्वरित और नियोजित प्रयास के फलस्वरूप एक कठोर अपराधी पकड़ा गया और एक अन्य सम्भावित अपराध को टाला जा सका।